न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 1865/2017
GCMS NO. : 2017/00353

–: प्रार्थीगण :– बनाम –: अप्रार्थीगण :–

1. भरतपुरी पुत्र नाथपुरी
जाति– गुसांई, निवासी– जैतारण, गोपालद्वारा रोड तहसील– जैतारण, जिला– पाली।

1. रामपुरी पुत्र नाथूपुरी गुसांई
2. सुरेशचंद पुत्र रतनलाल सोनी
3. विशनाराम पुत्र जीयाराम जाट
4. मुमताज पुत्र सत्तारखां
5. रूस्तमखां पुत्र सत्तारखां
6. इंसाफखां पुत्र सत्तारखां
7. इकबालखां पुत्र सत्तारखां
8. आबीदखां पुत्र सत्तारखां
जाति– सिपाही मुसलमान, निवासी– जैतारण, तहसील– जैतारण जिला– पाली।
9. सहदेवपुरी पुत्र भंवरपुरी गुसांई
निवासी/तहसील– जैतारण, जिला– पाली।
पीलूदेवी पुत्र भंवरपुरी के का0मु0
10. सुनिलगिरी पुत्र सहदेवगिरी
11. अनिलगिरी पुत्र सहदेवगिरी
12. सुशिला पुत्री सहदेवगिरी
13. बद्रीपुरी पुत्र भीमपुरी
14. गिरधारीपुरी पुत्र भीमपुरी
15. मनोहरपुरी पुत्र भीमपुरी
16. सुमन उर्फ संतोष पुत्री भीमपुरी
17. इन्द्रा पुत्री भीमपुरी
18. सरस्वती पुत्री भीमपुरी
जाति– गुसांई निवासी– बिलाड़ा कसाईयों का बास जिला जोधपुर
19. [illegible] पुत्र अर्जुनपुरी
20. [illegible]केश पुत्र अर्जुनपुरी
21. [illegible] अर्जुनपुरी
22. शारदा पत्नी अर्जुनपुरी
23. अ[illegible]पुरी पुत्र सुरजपुरी
24. रतनपुरी पुत्र सुरजपुरी
25. किशनपुरी पुत्र सुरजपुरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:53:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

26. उम्मेदपुरी पुत्र सुरजपुरी
27. प्रेम पुत्री सुरजपुरी
28. राजु पुत्री सुरजपुरी
29. जगदीश पुरी पुत्र सोमपुरी
30. सुरेशपुरी पुत्र भीकापुरी पुत्र सोमपुरी
31. गिरधारी पुत्र भीकापुरी पुत्र सोमपुरी
32. गोविन्दपुरी पुत्र भीकापुरी पुत्र सोमपुरी
33. लीलादेवी पुत्री भीकापुरी पुत्र सोमपुरी
34. मानपुरी पुत्र सोमपुरी
35. रामेश्वरी पुत्री सोमपुरी
36. राजुदेवी पुत्री सोमपुरी
37. राकेश पुत्री सोमपुरी
    जाति– गुसांई निवासी/तहसील– जैतारण जिला– पाली राजस्थान।
38. तहसीलदार जैतारण तहसील जैतारण, जिला– पाली(राज0)।

राजस्व प्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 तथा सपठित धारा 151सी.पी.सी

तारीख रजूः–04.10.2017

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय :: **दिनॉकः–30/08/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में सायल एवं गैरसायलान् की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख0नं0 187/1 रकबा 48–06 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है। जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 व ट्रेस नक्शा पेश है। उक्त कृषि भूमि मे सायल एवं गैरसायलान् जमाबन्दी मे दर्ज माफिक हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते है उक्त कृषि भूमि मे सायल का 7–17 [illegible] मि तथा गैरसायल संख्या एक की 3–18 बीघा भूमि [illegible] भूमि प्रमाण–पत्र से स्पष्ट है। सायल एवं [illegible] रामपुरी सगे भाई है तथा स्वर्गीय नाथुपुरी के वारिसान है। नाथूपुरी का उ[illegible] कृषि भूमि मे 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है उनकी मृत्युपरान्त उनके विधिक वारिसान शांतिदेवी पत्नी, पुत्री सुनिता, पुत्रान भरतपुरी व रामपुरी के नाम जरिये म्युटेशन के इन्द्राज हुई तथा शांतिदेवी व सुनिता ने अपने हिस्से को जरिये हकतर्कनामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:53:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

के सायल व गैरसायल संख्या एक के पक्ष में निष्पादित कर दिया इस प्रकार स्वर्गीय नाथूपुरी के 1/4 हिस्से की कृषि भूमि सायल व गैरसायल संख्या एक के नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज हो गयी। सायल एवं गैरसायल संख्या एक के हिस्से की कृषि भूमि को उनकी माता शांतिदेवी ने आज से करीब 10 वर्षो पूर्व मौके पर सायल एवं गैरसायल संख्या एक की कृषि भूमि का बंटवाडा कर मौके पर सायल व गैरसायल संख्या एक के खेतो के बीच खन्दक लगवा दी। तब से सायल व गैरसायल संख्या एक अपने अपने हिस्से में काश्त करते है तथा ख0नं0 187/1 रकबा 48-06 बीघा में सायल के हिस्से की कृषि भूमि को उत्तरी दिशा मे तथा गैरसायल संख्या एक के हिस्से की कृषि भूमि को दक्षिणी दिशा मे बंटवाडा कर रखी तथा इसी हिस्से अनुरूप काबिज होकर काश्त करते हैं। सायल की माता ने ऐसा इसलिए किया कि दोनों भाईयो के बीच प्रेम रहे व भविष्य में कृषि भूमि को लेकर किसी प्रकार की कटूता पैदा नहीं हो तथा इस बाबत सायल की माता शांतिदेवी ने एक लिखित आपसी पारिवारिक बंटवाडा भी रूपये 500/- के स्टाम्प पर दिनांक 18/09/2017 को लिखित कर दिया। सायल के हिस्से की कृषि भूमि को सायल द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में हरे रंग से व गैरसायल संख्या एक की हिस्से की कृषि भूमि को लाल रंग से दर्शाया है। प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषिभूमि सायल एवं गैरसायलान् की सामलाती खातेदारी की राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी मे इन्द्राज है जिसका बंटवाडा सायल द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शेनुसार मौके पर इसी अनुरूप कब्जा है किया जाना आवश्यक है सामलाती खातेदारी की कृषि भूमि होने पर सायल अपने हिस्से की कृषि भूमि को क़ाबिल काश्त हेतु खाद बीज आदि के लिये बैंक से ऋण लेने में कठिनाई होती है सायल अपने हिस्से में अलग से कुआ खुदवाकर उस पर विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन लेने में भी परेशानी होती है व सायल को बैंक से किसान कार्ड बनाने के लिये परेशानी होती है इसलिए सायल ने उक्त कृषि भूमि को बंटवाडा बाबत् दिनांक 10/08/2017 को गैरसायलान् को कहा तो स्पष्ट इन्कार, तथा सायल को उसके हिस्से की भूमि से गैरसायलान् बेदखल करने की धमकी देने लगे इतना ही नहीं गैरसायल संख्या दो अपनी हठधर्मिता लाठी के बल पर सायल के हिस्से में बोये मूंग व तिल्ली की फसल को काटने व नष्ट करने की धमकी दी व सायल के दक्षिणी तरफ की खन्दक को भी खूर्द बुर्द किया तब सायल ने उक्त प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान् के प्रस्तुत किया है। तथ्यो, परिस्थितियो एवं दस्तावेजात तथा मौके कब्जा व बंटवाडा तथा उपयोग उपभोग से प्रथम दृष्टिया मामला सायल के अनुकूल है हर दृष्टिकोण से सायल के पक्ष में है यदि गैरसायलान् जोर जबरदस्ती लाठी लकड़ी के बल पर सायल के हक हिस्से की भूमि से सायल को बेदखल कर देते है एवं सायल के हक हिस्से की भूमि पर लगी खन्दक को तोडफोड खूर्द बुर्द करते है तो सायल को अपूर्णिय क्षति होगी एवं सायल अपने जायज हक हकूको एवं अधिकारों से महरुम हो जायेगा तथा सायल गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:53:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

गैरकानूनी कृत्यो का विरोध करेगा तो मौके पर वाद विवाद लडाई झगडा होगे जिससे विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी परिस्थितियों में सायल के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान् श्रीमान् के समक्ष पेश है एवं पेचीदगिया बढेगी, इसलिए इन तमाम अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे बताये हरे रंग की सायल के हक हिस्से की भूमि सायल काश्त मुतालिक कुल कार्य करे या करावे तो उसमे गैरसायलान्, उनके बाल बच्चे, नौकर चाकर, हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार से दखल व दस्तन्दाजी नही करे एवं सायल के खेत की दक्षिणी खन्दक में भी किसी प्रकार से तोडफोड खूर्द बुर्द इत्यादि नही करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें। प्रार्थनापत्र की रूह से अन्य कोई सहायता जो सायल प्राप्त करने का अधिकारी हो दिलायी जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 02 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जो सामिल मिसल हैं। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 03 से 37 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थीगण संख्या 02 ने जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि दरख्वास्त के पैरा संख्या एक का जवाब है कि इस मे वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 187/1 रकबा 48 बीघा 1 बिस्वा सरहद मौजा जैतारण मे स्थित है । जिसमे से 4 बीघा भूमि जबाब देहन्दा ने गैरसायल संख्या 1 रामपुरी से जरिये बेचान एग्रीमेन्ट दिनांक 25/08/2015 को खरीद की और मौके पर काबिज हुआ। दरख्वास्त के पेरा संख्या 2 का जबाब है कि जबाब देहन्दा ने वादग्रस्त आराजी मे से 4 बीघा भूमि जरिये बेचान एग्रीमेन्ट खरीद कर मौके पर काबिज है और अपनी खरीद सुदा भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है। इसके अलावा इस पद मे वर्णित कथन सायल स्वयं साबित करे । दरख्वास्त के पेरा संख्या 3 का जबाब है कि सायल क गैरसायल संख्या 1 सगे भाई है। रामपुरी को वादग्रस्त आराजी ने माफिक कानून उतराधिकार मे 4 बीघा भूमि उसके हक हिस्से मे आई। रामपुरी ने अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का जबाब देहन्दा को प्रतिफल की राशि प्राप्त कर बेचान कर दी और उसी अनुरूप जबाब देहन्दा मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है इसके अलावा इस पद में वर्णित तमाम कथन सायल स्वयं साबित करे। दरख्वास्त के पैरा संख्या 4 में वर्णित तमाम कथन गलत झुठे बेबुनियाद होने से जबाब देहन्दा अस्वीकार करता है। सायल ने इस पद में यह कथन उल्लेख किया कि सायल की माता शांतिदेवी ने एक लिखित पारिवारिक बंटवाडा 500 रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 18/09/2017 को लिखित कर दिया जिससे जबाब देहन्दा पाबन्द नही है। सायल ने वादग्रस्त आराजी में स्वयं की भूमि को हरे रंग से व गैरसायल संख्या 1 के हक हिस्से की भूमि को लाल रंग से दर्शाया जो गलत व नामंजूर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:53:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

है। जबाब देहन्दा ने अपने हक हिस्से व अधिकार की भूमि के चारों और मिट्टी की खन्दक लगा रखी है और उसे उपजाउ बनाया है और मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। सायल ने केवल मात्र जबाब देहन्दा को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से यह निराधार प्रार्थनापत्र पेश किया है। दरख्वास्त के पेरा संख्या 5 मे दर्ज तमाम कथन गलत झूठे बेबुनियाद होने से जबाब देहन्दा स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है। दिनांक 10/08/2017 या अन्य किसी भी दिनांकको सायल ने जबाब देहन्दा को वादग्रस्त आराजी के बंटवाडा बाबत् नही कहा है सायल केवल मात्र जबाब देहन्दा के हक हिस्से व मौके की भूमि को हडपने के उद्देश्य से यह निराधार प्रार्थनापत्र पेश किया है। इसके अलावा इस पद मे वर्णित तमाम कथन गलत झूठे बेबुनियाद होने से जबाब देहन्दा स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है। दरख्वास्त के पेरा संख्या 6 का जबाब है कि सायल के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टिया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति का बिन्दू नही है क्योकि सायल व गैरसायलान् एक दुसरे के कॉशेयरर व कoटीनेन्ट है। विधि का यह स्पष्ट प्रावधान है कि एक कॉशेयरर दुसरे कॉशेयरर के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नही होता है इसलिए इस कानूनी आधार से भी सायल का प्रार्थनापत्र कानूनी रूप से पोषणीय नही होने से खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी जो कि अविभाजित सहखातेदारी भूमि है के कानूनन बंट्वाड़ा वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जो जैरकार है। वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है जिसमें प्रार्थी भरतपुरी एवं अप्रार्थी संख्या एक रामपुरी परस्पर भाई है के अलावा अन्य अप्रार्थीगण भी सहखातेदार है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ आपसी लिखत प्रस्तुत करते हुये विशिष्ट रंग से अंकित विशिष्ट भू भाग अपना व अन्य अप्रार्थीगण का होना अंकित करते हुये अस्थाई स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है, जिसका अप्रार्थी संख्या दो सुरेश ने खण्डन किया है। अप्रार्थी संख्या दो वादग्रस्त आराजी में ब[illegible] सहखातेदार दर्ज हुआ है। चुंकि यह स्पष्ट है कि अवि[illegible] तक कानूनन बंटवाड़ा नहीं हो जाता तब तक ऐसी भूमि के कोई भी विशिष्ट भू भाग किसी विशिष्ट सहखातेदार का होना नहीं माना जा [illegible]कता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
[illegible]ारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:53:01 IST
Reason: SelfAttested

<u>(02) सुविधा का संतुलन एवं *अपूर्णनीय क्षति* :–</u> चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित हुआ है तथा साथ ही संयुक्त अविभाजित सहखातेदारी आराजी के संबंध में यह सामान्य अवधारणा है कि ऐसी आराजी के प्रत्येक हिस्से पर सभी सहखातेदारान का एक समान कब्जा माना जाता है अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में सुविधा का संतुलन ऐसे प्रत्येक सह–खातेदार के पक्ष में निहित है न की केवल प्रार्थी के पक्ष में। अतः सुविधा का संतुलन भी केवल प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है तथा ऐसी अविभाजित संयुक्त खातेदारी भूमि के अभिलिखित सह–खातेदार अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण को ही होना संभव है क्योंकि इससे अप्रार्थीगण को उनके खातेदारी प्राथमिक अधिकारों के उपभोग से वंचित होना पड़ सकता है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति दोनों बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र साबित करनें में पूर्णतया असफल रहा है, अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

<u>–: आदेश :–</u>

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित न होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
जैतारण, जिला-पाली

निर्णय आज दिनॉक 30/08/2028 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

पदेन
जैतारण

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:53:01 IST
Reason: SelfAttested